


राजस्थान सरकार
निदेशालय पशुपालन, राजस्थान

क्रमांक: एफ.वी.5(1) (समेकित) स्था/अ/2021/ 1031

दिनांक: 16-08-2022

संशोधन आदेश

1. पशु चिकित्सा अधिकारी हेतु दिनांक 14.08.2022 को जारी विज्ञप्ति के आवेदन पत्र के बिन्दु संख्या 05 में "दिनांक 01.08.2022" के स्थान पर "दस्तावेज सत्यापन दिनांक" संशोधित कर पढा जावे।
2. आवश्यक अस्थाई आधार(Urgent Temporary Basis) पर पशु चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति हेतु आवश्यक शर्तों में क्रम संख्या 02 पर अंकित बिन्दु में संशोधन कर प्रार्थी का राजस्थान पशु चिकित्सा परिषद में स्थाई पंजीयन प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन की दिनांक तक का होना आवश्यक है।
3. आवश्यक अस्थाई आधार(Urgent Temporary Basis) पर पशु चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति हेतु आवश्यक शर्तों में क्रम संख्या 04 पर अंकित बिन्दु में संशोधन कर दस्तावेज सत्यापन की दिनांक तक आवेदक की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग/अति पिछडा वर्ग/महिलाओं (विधवा एवं परित्यक्ता महिला सहित) को नियमानुसार आयु सीमा में छूट देय होगी।



(कश्मी कौर)
शासन उप सचिव